

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3740 / 2024

दिनांक : 13.11.2024

श्रीमती ईशा सांघी (RJ01227), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, सीकर को दिनांक 18.11.2024 से 16.05.2025 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 17.11.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती ईशा सांघी (RJ01227), के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

क. स.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-	न्यायालय, जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-
01	श्री हिमांशु कुमावत (RJ01232), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।	श्रीमती ईशा सांघी (RJ01227), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, सीकर।

- ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- श्री हिमांशु कुमावत (RJ01232), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से
13/11/24

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/65/2017/ 8984

दिनांक: 13.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 6916 दिनांक 24.10.2024 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती ईशा सांघी (RJ01227), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, सीकर।
- अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, सीकर।
- श्री हिमांशु कुमावत (RJ01232), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
- संबंधित कोषालय।
- संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
13/11